 Dr. P.K.Yadav

संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतान्त्रिक तथा प्रभावी बनाने हेतु सुझाव —

संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका अपना चार्टर (संविधान) है 24 अक्टूबर 1945 को इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करते हु हुआ तब से लेकर अबतक विश्व शान्ति व सुरा की दिशा में अनेक आलोचनाओं और सीमाओं के बाद भी इसने प्रभावी रूप में काम किया है इसके बाद भी इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन = लोकतान्त्रिक बनाने तथा अधिक से अधिक प्रभा बनाने की मांग की जाती रही है। वीटो समस्या अमरीकी प्रभुत्व तथा नियन्त्रण प्रकृति अपरिभाषित होना, यू. एन. ओ की चार्टर में संशोधन की मांग को जन्म देता है। वर्ष 2005 में तात्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक सुधार की मांग रखी थी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को अमरीकी विदेश्यक का तीसरा विभाग तथा अमरीकी जेबी संगठन

तक कहा जा रहा है। इस आरोप का निदान संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार में ही सन्निहित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतान्त्रिक तथा प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ पर सबसे बड़ा आरोप वीटो प्रावधान के सम्बन्ध में लगाया जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि वीटो के नकारात्मक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए चार्टर में संशोधन किया जाए। यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया जाए कि कोई देश स्वार्थ पूर्ति तथा वैचारिक दबाव में अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

2. वीटो जैसी व्यवस्था को समाप्त करने से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अलोकतान्त्रिक होने का आरोप तो समाप्त हो जाएगा परन्तु अनेक खतरनाक समस्याएँ सामने आ जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि वीटो को समाप्त न करते हुए उसे अधिक से अधिक लोकतान्त्रिक

बनाया जाए इसके लिए आवश्यक है कि मानवीय संसाधन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन के सन्दर्भ में लोकतान्त्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देशों को जिनका अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा में बेहतर रिकार्ड रहा है उनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया जाए।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना हो इसके लिए महासभा को एकमात्र उत्तरदायी निकाय बनाया जाए। यह उल्लेखनीय है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा प्रदान करने में अमरीका वैचारिक कट्टरता के कारण अवरोध खड़ा कर रहा था जबकि महासभा के 2/3 से भी अधिक सदस्य देश चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करना चाहते थे। स्पष्टतः यू० एन० ओ की सदस्यता को विश्वव्यापी बनाए रखने के लिए लचीली प्रक्रिया के प्रावधान की आवश्यकता है।

4. चार्टर निर्माताओं ने महासभा को विश्व संसद के रूप में कायम करना चाहा है जिसमें कोई भी सदस्य राज्य तीन से लेकर पाँच प्रतिनिधि तक भेज सकता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। महासभा में सदस्य देश की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों को भेजने तथा 'एक देश एक मत' के सिद्धान्त का परित्याग करते हुए प्रत्येक प्रतिनिधी के मत के सिद्धा को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें U.N.O वास्तविक अर्थ में लोकतान्त्रिक बन सकता है

5. संयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक परिषद पर महासभा के नियन्त्रण की पद्धति को परिभाषित कर दिया जाए ताकि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में उक्त संगठन के द्वारा प्रभावी शक्ति का निर्वहन किया जाए।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में संशोधन करने

की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को निष्पक्ष तथा बाध्यकारी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यक है।

7. संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद विश्व पुलिस की भूमिका का निर्वहन करता है। चार्टर निर्माताओं ने सुरक्षा परिषद को विश्व शान्ति व सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा किया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि सुरक्षा परिषद सामाजिक क्षेत्रों में अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करे इसके लिए चार्टर में संशोधन की आवश्यक है।

8. सुरक्षा परिषद की बैठक में केवल इसके सदस्य देश ही शामिल होते है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इसमें वैसे देशों को भ भाग लेने की छूट दी जाए जिनके सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद का निर्णय होता है। जिन देशे

के बीच विवाद है तथा जिनके सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद निर्णय लेना चाहती है। यदि उन देशों को बैठकों में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा तो ये देश सही ढंग से अपने पक्ष को रखेंगे तथा सुरक्षा परिषद को भी निर्णय लेने में आसानी होगी।

9. संयुक्त राष्ट्र संघ के पास स्वयं की अन्तर्राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए जिनकी भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय सेना में भर्ती के नियमों को सरल व निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। वैसे देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों की अवहेलना करते हैं उनके लिए दण्ड का प्रावधान भी आवश्यक है।

10. संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतान्त्रिक एवं प्रभावी बनाने के लिए एशिया तथा अफ्रीकी देशों के उचित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एशिया में भारत एक महान लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोककल्याणकारी गणराज्य

है तथा इसने अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में U.N.O को महत्त्वपूर्ण योगदान किया है तो भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाकर सम्मानित करने की आवश्यकता है।

11. संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतान्त्रिक बनाने के लिए आवश्यक है कि विश्वजनमत एकजुट हो अमरीका संयुक्त राष्ट्रसंघ का मनमाना प्रयोग करता है उसपर नियन्त्रण लगाया जाए। इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमरीका के जैसी संगठन बनने से बच जाए।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक तथा प्रभावी बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच विचारधारा सहित सभी प्रकार के टकराव को परित्याग करते हुए आपसी सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के देश अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा U.N.O के विकास में राष्ट्रीय हित से आगे बढ़कर समर्थन दे इसके लिए औचित्यपूर्ण राष्ट्रवाद, विश्व नागरिकता तथा लचीली समझौता नीति को अपनाने की आवश्यकता है।

U.N.O को लोकतान्त्रिक तथा प्रभावी बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सैमिनार आयोजित कर तथा विश्व के विद्वानों के विचारों को आमन्त्रित करने व उचित महत्त्व प्रदान करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतान्त्रिक व प्रभावी बनाने के लिए विश्व जनमत का निर्माण हो।

विवेचन से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतान्त्रिक तथा प्रभावी बनाने के लिए एक नहीं अनेक प्रयास समन्वित रूप में समन्वित रूप में सम्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि उपर्युक्त प्रयासों को ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाए तो निश्चित रूप में तथा वास्तविक अर्थों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक महान लोकतान्त्रिक तथा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित होगा।